भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1299
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : बीज बैंक

1299. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश में स्थानीय स्वदेशी पौधों की किस्मों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए और अधिक बीज बैंकों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बीज बैंकों से लाभान्वित किसानों की संख्या सहित आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में अधिक उत्पाद, उत्पादन करने और उच्च उत्पादकता के लिए हाइब्रिड रिसर्च सेंटर स्थापित करने और फिर परागीकृत बीज किस्में खोलने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसंधान केंद्र के लिए आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) नाम से एक एजेंसी स्थापित की गई है, जो राष्ट्रीय जीन बैंक/फील्ड जीन बैंक में स्थानीय देशी/परंपरागत बीज किस्मों सहित बीज किस्मों को पंजीकृत और रखरखाव करती है ।

अब तक किसानों द्वारा 4,669 बीज किस्मों को पीपीवीएफआरए के साथ पंजीकृत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)- नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर) भी विभिन्न स्रोतों से पौधों की स्थानीय स्वदेशी किस्मों के संग्रह और अधिग्रहण का काम करता है और उन्हें राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित करता है।

(घ) और (ङ): ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, 2015 से कंसोर्टियम रिसर्च प्लेटफार्म (सीआरपी) ऑन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में दो केंद्रों पर चल रहा है, अर्थात् चावल के लिए क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन, कर्जत, डॉ. बालासाहेब सावंत कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली और अरहर के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र, बदनापुर, वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभणी। वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान कर्जत केंद्र को 45.50 लाख रुपये और बदनापुर केंद्र को 39.64 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

*****